

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004722015

दांडिक प्रकरण क.-381 / 15

संस्थापित दिनांक-17.11.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>
<b>विरुद्ध</b>
01-संतोष सोनी पुत्र रमेश सोनी उम्र 30 वर्ष 02-रमेश सोनी पुत्र मोतीलाल सोनी उम्र 52 वर्ष 03-साधना सोनी पत्नी रमेश सोनी उम्र 50 वर्ष 04-आशीष सोनी पुत्र रमेश सोनी उम्र 26 वर्ष सर्व निवासीगण फूटा कुंआ मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर । <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. । आरोपीगण द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.04.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी जया सोनी ने दिनांक 30.09.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह दिनांक 30.11.13 को चंदेरी के संतोष सोनी के साथ हुई थी जिसमें उसके पिता ने हैसियत से घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया था। शादी के 15 दिन तक वह अपनी ससुराल ठीक से रही। उसके बाद उसके पति संतोष, सास साधना, रमेश, देवर आशीष उसे घर के छोटे-छोटे कामों में परेशान करने लगे। उसके पति उससे बात नहीं करते और कहते कि शादी में अपने साथ कुछ नहीं लाई। पहले मोटरसाईकिल और 50,000 रुपये लेकर आने को कहते थे और तथी साथ रखने को कहते थे। सास-ससुर और देवर उसे दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 398/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने फरियादी जया सोनी को दिनांक 30.11.13 के कुछ दिनों बाद से उसके पति या पति के नातेदार होते हुए फरियादी से दहेज में मोटरसाईकिल व 50000 रुपये की मांग करके उसे शारीरिक

एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 जया सोनी, अ.सा. 02 बद्री प्रसाद सोनी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 जया सोनी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार विवाह के बाद वह पंद्रह-बीस दिन ससुराल अच्छे से रही और फिर अपने मायके चली गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण उसे ससुराल में कुछ नहीं कहते थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने मायके आने पर आरोपीगण के विरुद्ध कोई बात अपने परिवारवालों को नहीं बताई थी। अ.सा. 01 के अनुसार उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उसे छोटे छोटे कामों को लेकर प्रताडित करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 04 दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार घर के मामूली विवाद के संबंध में उसने थाने में आवेदन दिया था। अ.सा. 02 बद्री प्रसाद सोनी ने भी अपने कथन में बताया है कि उसकी लडकी ने उसके पति से घरेलू विवाद होने के बारे में बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी लडकी ने उसे यह बताया था कि आरोपीगण उसे दहेज न देने के कारण उसे ताने मारते थे। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है।

08— उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें से एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्व

ारा फरियादिया से दहेज की मांग की गई एवं उसके साथ प्रताड़ना कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा शादी का कार्ड एवं शादी का फोटो मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)